जनपद कौशाम्बी की भ्रमण रिपोर्ट

मिशन निदेशक महोदय के आदेश के अनुपालन में निम्न अधिकारियों द्वारा जनपद कौशाम्बी का दिनांक 19.09.2017 से 22.09.2017 तक भ्रमण किया गया जिसकी भ्रमण आख्या निम्नवत है।

1. डा0 मनोज शुक्ला, महाप्रबंधक मातृ एवं स्वास्थ्य।
2. श्री राम सुरेश चौरसिया, परामर्शदाता क्यू.ए.।
3. श्री भूपेश भाष्कर, कार्यक्रम समन्वयक, सी0पी0।
4. श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, एन.यू.एच.एम.।

जिला संयुक्त चिकित्सालय –

1. एच.एम.आई.एस. की रिपोर्टिंग में रिकार्ड को या तो भरा नही है या तो गलत भरा जा रहा है जैसे – जिला चिकित्सालय में आयुष के द्वारा 4914 मरीजों को देखा गया जबकि ऐलोपेथिक चिकित्सक के द्वारा केवल 02 मरीजों को चिकित्सकीय लाभ प्रदान किया गया।
2. जे0एस0वाई0 के पेमेण्ट हेतु पुराने प्रपत्र प्रचलन में है।
3. लाभार्थियों को पेमेण्ट सर्टिफिकेट नही दिये जा रहे है।
4. सी–सेक्शन की संख्या बहुत कम है (315 डिलीवरी के सापेक्ष मात्र 12 सी–सेक्शन माह अगस्त में)।
5. जे0एस0वाई0 2017 –18 में 478/1305 (37 प्रतिशत) लाभार्थियों का, 2016–17 में 301/2013 (15 प्रतिशत), भुगतान नही किया गया है।
6. जनपद स्तर से किसी भी मद में कोई भी धनराशि इकाई को अवमुक्त नही की गयी है।
7. विगत वर्ष के भी ड्रग्स पेमेण्ट लम्बित है और कमिटेड धनराशि का भी भुगतान नही किया गया है।
8. वर्ष 2017–18 में समस्त आउटसोर्स सर्विसेज (क्लीनिंग, लाउन्ड्री, बायोमेडिकल वेस्ट, इत्यादि) का भुगतान लम्बित है।
9. फायर एक्सटिंगविशर अक्रियाशील थे।
10. औषधि स्टोर संतोषजनक पाया गया। केवल कुछ औषधियों पर लेवलिंग की जरुरत है।
11. 50 औषधियों जिनके क्रय आदेश निर्गत किये गये हैं, जिनकी आपूर्ति 45दिवस की सीमा समाप्त होने के उपरान्त भी नही की गयी है। आपूर्ति नही करने वाली कम्पनियों के खिलाफ कोई पत्राचार नही किया गया है।
12. औषधियों की उपलब्धता के लिये अधिकांशतः लोकल खरीदारी की जा रही है।
13. मातृ मृत्यु समीक्षा समिति गठित है एक बैठक की गयी, परन्तु समीक्षा रिकार्ड उपलब्ध नही था.
14. लेबर रुम में मेटरेस 1/3 टेबल पर उपलब्ध नही थी।
15. लेबर रुम में हैन्ड वाश के लिये ऐल्वों टैब एवं लिक्वीड शोप उपलब्ध नही था।
16. स्टेलाइजेशन का रिकार्ड उपलब्ध नही था।
17. आक्सीटोसिन मानकानुसार कोल्डचेन में नही रखी हुई थी।
18. एस.एन.सी.यू. में सन्दर्भित बच्चों को बर्थ डोज नही लगायी जा रही है।
19. पैथोलॉजी की सुविधा 8 से 2 बजे तक तदोपरान्त बल्ड बैंक द्वारा होमोग्लोबिन, एच.आई.वी. की जॉच की जा रही है बताया गया परन्तु रिकार्ड उपलब्ध नही था।
20. एन0आर0सी0 में लाभार्थियों के रिकार्ड अद्युनान्त नही था। काउन्सलिंग सेवाये अपर्याप्त थी।
21. एस.सी.एच. विंग तैयार है और मुख्य चिकित्साधिकारी को हस्तान्तरित किया गया है और पी.पी.पी. मोड पर संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

Bhupesh

22. गैलरी में कुछ उपयोग किये जाने योग्य एवं अन्य अनुपोयिगत उपकरण/सामग्री कण्डम की तरह रखा गया है। जिसकी कोई लाइन लिस्टिंग भी नही की गयी है।
23. स्टोर में उपकरणों को बिना लाइन लिस्टिंग के अव्यवस्थित रुप में रखा गया है।
24. वार्ड के इमेरजेंसी ट्रे में इक्स्पाइरी इन्जेक्शन पायी गयी।
25. फार्मेसी में औषधियों के इक्सपायरी के तीन माह पूर्व लाइन लिस्टिंग नही की जा रही है।
26. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में गर्विनिंग बाडी की 01 बैठक करायी गयी है एवं कार्यकारी समिति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नही करायी गयी है।
27. चिकित्सालय में जेनसेट खराब होने के कारण किराये के जेनसेट से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।
28. चिकित्सालय के परिसर में साफ सफाई व्यवस्था मानकानुसार (जलभराव हो रहा है) नही है।
29. ब्लड बैंक के स्टेप्लाइजर खराब हैं। रिकार्ड अपकीप में सुधार की आवश्यकता है जैसे– उपयोग में लायी जा रही किट्स के नम्बर आदि नही अकिंत है।
30. लिक्विड बायो वेस्ट डिस्पोजल हेतु टीशू पेपर नही है, और न ही व्लीचिंग सालूशन बनाने की जानकारी थी। कुछ आई.वी.सेट/सिरिंज खुले पड़े थे।
31. टीकाकरण कक्ष में आइसपैक मानकानुसार नही थे। कैल्शियम, अल्बेन्डाजोल उपलब्ध नही थी। एम.सी.पी. कार्ड, काउन्टर फाइल अपर्याप्त, ए.एन.सी रजिस्टर का प्रयोग नही।
32. पी.एम.एस.एम.ए. के पुराने प्रपत्र प्रचलन में है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – सिराथू

1. इकाई में अप्रैल से अगस्त तक केवल 13 सीजेरियन किये गये है जबकि माह अगस्त में इनकी संख्या शून्य है। तैनात स्त्रीरोग विशेषज्ञ के द्वारा अक्षमता प्रदर्शित करते हुये आपरेशन नही किया जा रहा है।
2. शिकायत पेटिका में ताला नही लगा हुआ है और शिकायतों के अंकन एवं निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नही है।
3. जे0एस0एस0के0 के भुगतान हेतु धनराशि जनपद स्तर से अवमुक्त नही की गयी है। डाइट रजिस्टर उपलब्ध नही कराया गया।
4. उपयोग किये हेतु सिरिंजों को मानकानुसार डिसइन्फेंक्शन एवं निस्तारण नही किया जा रहा है।
5. औषधियों की मांग हेतु इकाई द्वारा इन्डेंटिग व्यवस्था एवं रिकार्ड किपिंग मानकानुसार नही की जा रही है।
6. औषधि भंण्डार कक्ष में औषधियों की लेवलिंग नही की गयी थी। स्टोर में सामग्रीयों की उपलब्धता के उपरान्त भी उनका वितरण नही किया जा रहा है, प्रकाश हेतु समुचित व्यवस्था भी नही थी।
7. एक्स रे हेतु फिल्म की उपलब्धता नही है, जिसके कारण एक्स–रे नही किया जा रहा है।
8. एल.एम.ओ. के पास बी.पी. इस्टूमेंट, पेसेन्ट इग्जामिन टेबेल, वजन मशीन, हाइट स्केल खराब पड़ी थी, जिसको तत्काल हटवाकर नया उपकरण को वहां स्थापित कराया गया। कक्ष में जाले लगे हुये हैं।
9. अर्श काउन्सलर पुरुष एवं महिला एक ही कक्ष में बैठते हैं, दोनों काउन्सलर का अलग अलग कक्ष में कराया गया।
10. लेबर रुम में मेटरस उपलब्ध नही थी।
11. लेबर रुम में जो वैक्सीन रखी गयी थी उसकी आइस पैक मेल्ट थी।
12. बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन 3 कलर पालीबैग न होने के कारण नही किया जा रहा था।
13. ए.एन.एम. एवं आशा के द्वारा एम.सी.पी. कार्ड की लाभार्थी की प्रति को लाभार्थी को ना देकर स्वयं के पास रखा जा रहा है एवं एम.सी.पी. कार्ड में आवश्यक सूचनाएं अंकित नही की जा रही है।
14. जे.एस.वाई. के पेमेण्ट हेतु पुराना फार्म उपयोग किया जा रहा है। फार्म की फोटोकॉपी पेसेन्ट के द्वारा कराया जा रहा है।
15. जे0एस0वाई0 पेमेण्ट वर्ष 2017–18 में अग तक 207/921, वर्ष 2016–17 में 352/2504 का नही हुआ है।
16. ग्लव्स की उपलब्धता न होने के कारण उपयोग किये हुये ग्लव्स को पुनः उपयोग में लाया जा रहा है।
17. नियमानुसार उपकरणों का आटोक्लेविंग एवं डिकन्टामिनेशन नही किया जा रहा है।

Bhupesh

18. कुछ उपयोग किये जाने योग्य एवं अन्य अनुपोयिगत उपकरण/सामग्री कण्डम की तरह रखा गया है। जिसकी कोई लाइन लिस्टिंग भी नही की गयी है।
19. ब्लाक को बजट भेजने के उपरान्त उसके दिशा –निर्देश प्रेषित नही किये जा रहे हैं।
20. एच.एम.आई.एस. की रिपोर्टिंग में रिकार्ड को या तो भरा नही है या तो गलत भरा जा रहा है।
21. रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड को भरा नही जा रहा है और न ही नियमित रुप से बैठक की जा रहा है।
22. आर.बी.एस.के. की टीम के द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार भ्रमण नही किया जा रहा है और रजिस्टर में रिकार्ड का अंकन भी पूर्ण रुप से नही किया जा रहा है। जैसे– उम्र, माता का नाम, फोन नं., बिमारियां, इत्यादि।
23. दंत चिकित्सक को मांग पत्र के अनुसार सामान उपलब्ध नही कराया जा रहा है।
24. मातृ मृत्यु समीक्षा का कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नही है।
25. आशा मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध नही है एवं आशा शिकायत निवारण समिति नहीं बनी है।
26. कोल्ड चेन रुम में सिर्फ 01 आर.एल.आर. काम कर रहा है ओर 01 खराब है, जिसका तापमान 01 डिग्री था। जिसके कारण वैक्सीन का रख रखाव सही तरीके से नही हो रहा है।
27. पी.एम.एस.एम.ए. के पुराने प्रपत्र प्रचलन में है। कोई दीवार लेखन नहीं है। अल्ट्रासाउण्ड का भुगतान लम्बित है। लाभार्थियों को फल नाश्ता नही दिया जा रहा है।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – मंझनपुर

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया माह सितम्बर, 2016 से नही दिया गया है।
2. आउटरीच कैम्प हेतु धनराशि जनपद स्तर से प्रदान नही की जा रही है, इस मद में रु0 10,000/– प्रत्येक माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृत है।
3. ए.एन.एम. को मोबिलिटी हेतु धनराशि अभी तक प्रदान नही की गयी है।
4. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं की उपलब्धता बहुत कम है, जबकि प्रति वर्ष 6.25 लाख की धनराशि प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से प्रदान की जाती है।
5. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था नही है।
6. लेबर रुम में हाथ धोने के लिये वासवेसिन की व्यवस्था भी नही है।
7. उपलब्ध ए.एन.एम. महिला आरोग्य समिति को दिये जाने वाले परामर्श की जानकारी नही है।
8. ओ.पी.डी. रजिस्टर में एक से अधिक प्रकार की प्रविष्टि हैं जबकि वहां एक ही चिकित्सक तैनात है जो संदेह उत्पन्न करती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सरसवां

1. जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय 2016–17 के 294 लाभार्थियों का भुगतान तथा 2017–18 में 35 लाभार्थियों का भुगतान नही किया गया है।
2. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं के पोस्टर, प्रोटोकाल एवं आ0आई0सी0 प्रदर्शित नही है।
3. प्रसव के उपरान्त लाभार्थी 24 या 24 घण्टें से कम रुक रहे हैं।
4. प्रसव कक्ष में दिवारों पर सिलन है।
5. आटोक्लेविंग मानकानुसार नही किया जा रहा है।
6. प्रसव कक्ष का फ्यूमिगेशन नही किया जा रहा है।
7. लेबर टेबल में जंक लगा हुआ है।
8. एल्वों टैब नही लगा हुआ है।
9. वाथरुम में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नही है।
10. टीकाकरण कक्ष में बायो मेडिकल वेस्ट हेतु 03 कलर कोडेड बिंस उपलब्ध नही है।
11. उपकरणों को स्टेलाइज नही किया जा रहा है।

Bhupesh

12. सपोर्टिव सुपरविजन की चेकलिस्ट नही भरी जा रही है एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीन चेकलिस्ट के विषय में जानकारी नही है।
13. मातृत्व सुरक्षा की किताब लाभार्थियों को प्रदान नही की जा रही है।
14. आयुष चिकित्सक को सम्बन्धित विधा की औषधियां उपलब्ध नही हो रही है।
15. कमिटेड बजट का मात्र 50 प्रतिशत ही व्यय किया गया है।
16. ब्लाक एकाउन्ट मैनेजर की डयूटी जनपद स्तर पर लगायी गयी है, जिसके कारण ए.आर.ओ. द्वारा एकाउन्ट का कार्य मैनुयली किया जा रहा है।
17. एच.एम.आई.एस. की रिपोर्टिंग में रिकार्ड को या तो भरा नही है या तो गलत भरा जा रहा है जैसे – अगस्त माह की रिपोर्ट में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन की महिलाओं को शून्य दर्शाया गया है जबकि लैब में रिपोर्ट में 04 है।
18. आर.बी.एस.के. की टीम के द्वारा रजिस्टर में रिकार्ड का अंकन पूर्ण रुप से नही किया जा रहा है। जैसे– उम्र, माता का नाम, फोन नं., बिमारियां, इत्यादि।
19. आई.एफ.ए. सिरफ की उपलब्ध नहीं है।
20. विफ्स कार्ड उपलब्ध नही है।
21. आशा मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध नही है एवं आशा शिकायत निवारण समिति नहीं बनी है।
22. रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड को भरा नही जा रहा है और न ही नियमित रुप से बैठक की जा रहा है।

उपकेन्द्र –हिनौता, सरसवां

1. उपकेन्द्र के वार्ड में नियमित विद्युत कनेक्शन एवं वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इन्वर्टर एवं पंखा नही है।
2. प्रसव टार्च के प्रकाश मे कराया जा रहा है।
3. उपकेन्द्र पर परियोजना से सम्बन्धित कोई आ.ई.सी. प्रदर्शित नही है।
4. लेबर टेबल में जंग लगा हुआ था एवं लेबर टेबल पर मेटरस नही थी।
5. वायो मेडिकल वेस्ट कलेक्शन एवं निस्तारण हेतु कोई व्यवस्था नही थी।
6. लेबर रुम में आवश्यक उपकरण एवं ई.डी.एल. के अनुसार औषधियां उपलब्ध नही है एवं ए.एन.एम. द्वारा मांग प्रत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है।
7. उपकेन्द्र में प्रतिमाह 70–80 प्रसव कराये जा रहे हैं, परन्तु उपकेन्द्र पर कोई एस.बी.ए. प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती नही है।
8. उपकेन्द्र पर स्टाफ नर्स की तैनाती गयी है जिसका कोई प्राविधान नही है।
9. बाथरुम में दरवाजा नही है।

भ्रमण के प्रमुख बिन्दु –

1. धनराशि का वितरण जनपदों के द्वारा इकाईयों को नही किया गया है। विगत वर्ष के कमिटेड भुगतान भी अपर्याप्त है।
2. रिपोटिंग एच.एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस./पी.एम.एस.एम.ए. असंतोषजनक है।
3. रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड नही भरा नही जा रहा है।
4. मातृ मृत्यु समीक्षा का रिकार्ड उपलब्ध नही है।
5. ब्लाक स्तर पर स्टोर में उपकरण/दवाएं अव्यस्थित रखी है एवं उनका वितरण आवश्यकतानुसार नही किया जा रहा है।
6. ब्लाक स्तर पर लेबर टेबल व इक्जामिनेशन टेबल पर मेटरस नही है।
7. प्रसार प्रचार सामग्री पर्याप्त मात्रा में नही पायी गयी।
8. वैक्सीन का रखरखाव मानकानुसार नही पाया गया।

26.09.2017

26.9.17

4